

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

36 / 2019
10-7-2019

- 1-हंसराज पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
- 2-मुकेश पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
- 3-शंभू पुत्र पुत्र बीरबल जाति मीना निवासी ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
- 4-बीरबल पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019



- सुपस्थिति :- (1) श्री अनुराग गौतम, श्री बनवारी लाल शर्मा अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट


निर्णय

दिनांक 5-11-2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम कोटड़ी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 10000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट्स ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट्स की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्ट्स की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर मकान/दुकानें बनी हुई है। अपीलान्ट्स की दुकानों/मकान में बिजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट्स इस भूमि में बनी हुई मकान/दुकानों में अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है तथा दुकानों में अपना व्यवसाय करते चले आ रहे है। अपीलान्ट्स के पास इस मकान/दुकान के अलावा आवास व व्यवसाय करने हेतु अन्य कोई परिसर भी नहीं है, उक्त


जिला कलेक्टर
टोंक

भूमि में कई लोगों के मकानात बने हुए हैं और आबादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट्स के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट्स को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स ने पक्की दुकाने व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 626/12 निर्णय दिनांक 1-2-2012 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना माना गया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट्स की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया था। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा पर दुकानें मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 626/12 निर्णय दिनांक 1-2-2012 से बेदखल किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में अपीलान्ट्स नोटिस की तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए हैं एवं अपीलान्ट्स ने स्वयं अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है। अपीलान्ट्स सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-6-2019 द्वारा अपीलान्ट्स को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपारस्त की जाती है कि अपीलान्ट्स 21 दिवस की अवधि में अपना कब्जा हटा कर एक शपथ पत्र तथा नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में प्रस्तुत करें कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है और नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करले की अपीलान्ट्स का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट्स अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और सजा यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5-11-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक